तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पुखराज बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 117/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 117/2021 पुखराज बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 42 रकवा 35 बीधा एव खसरा नम्बर 88 रकबा 7.16 बीधा ग्राम नंदवान मे प्रार्थी पुखराज पुत्र भोलाराम का 1/50 हिस्सा निहित है तथा इसी खाते मे सहखातेदार पुखराज पुत्र चिमनाराम का देहान्त हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण सख्या 1489 दर्ज किया जिसमे मृतक पुखराज के वारीसान का नाम इन्द्राज किया गया परन्तु आगे की जमाबन्दी मे प्रार्थी पुखराज पुत्र भोलाराम की जगह पुखराज पुत्र चिमनाराम के वारीसान का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी पुखराज पुत्र भोलाराम आज दिन जीवित है जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा मृतक पुखराज पुत्र चिमनाराम है तथा जो वरिसान दर्ज किए है व पुखराज पुत्र चिमनाराम के है। इस बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली मे राजस्व केम्प मे ली गई जिसमे भी हल्का पटवारी ने मौतबीरान एव सहखातेदार की उपस्थित मे रिपोर्ट पेश की कि पुखराज पुत्र भोलाराम जीवित है तथा पुखराज पुत्र चिमनाराम फौत हो चुका है ऐसी स्थिति मे उक्त शुद्वि की अनुशंषा की गई। उपरोक्त तमाम तथ्यो से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सख्या 1489 पुखराज फौत कि आधार पर वारिसान किशनलाल वगैरा का नाम इन्द्राज किया जबकि उक्त मूतक पुखराज पुत्र चिमनाराम है जबकि अर्थात मे पुखराज पुत्र भोलाराम के नाम हटा कर दर्ज कर दिया। जो अशुद्व है जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है । अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 42 एव 88 ग्राम नंदवान मे प्रार्थी पुखराज पुत्र भोलाराम का नाम इन्दाज किया जाता है तथा मृतक पुखराज पुत्र चिमनाराम के स्थान पर उनके वारिशान किशनलाल वगेरा जो म्यूटेशन संख्या 1489 मे अकित है को दर्जा किया जाता है तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	